भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1818
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण

1818. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नोट किया है कि देश में कम से कम 15 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) आरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में अजा/अजजा/अपिव प्रोफेसरों की भर्ती के लिए भरे गए रिक्त पदों की संख्या के राज्य-वार और वर्ष-वार नवीनतम आकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या एनएलयू में अजा/अजजा/अपिव प्रोफेसरों की कुल संख्या के संबंध में कोई डेटा रखा जा रहा है और यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से एनएलयू सम्पूर्ण 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा प्रदान कर रहे हैं ;

(घ) क्या सभी एनएलयू ने अपिव के लिए 27 प्रतिशत कोटा आरक्षण लागू किया है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या अपिव को आरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम (2006). राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी 'ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों के अधीन स्थापित किए गए हैं और इसलिए वें राज्य के विश्वविद्यालय हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बाबत भारत सरकार की आरक्षण नीति केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या वित्तपोषित केन्द्रीय शैक्षिणक संस्थानों पर लागू होती है ।

****